न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री सुनील कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
24 / 2026 / प्रार्थना पत्र	23.01.2026	28.01.2026

अनवान

1– दिनेश कुमार पुत्र बालचन्द खटीक निवासी उदयभान गेट, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2– वतन पुत्र कालूराम दमामी निवासी असावा कॉलोनी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–प्रार्थीगण

:: बनाम ::

तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – श्री अंकित मालू –अभिभाषक प्रार्थीगण
पेरोकार सरकार –राज्य पक्ष

निर्णय

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार ग्राम अरनिया घोड़ा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि आराजी नम्बर 867 रकबा 0.77 है0 स्थित है। प्रार्थीगण के खातेदारी की उक्त आराजियात में आने जाने हेतु फसल काश्त करने हेतु आम रास्ता जिसके आराजी नम्बर 1064 गैमु. रास्ता से होते हुए आराजी संख्या 820 जो कि बिलानाम से होता हुआ अपनी आराजी संख्या 867 के उत्तर पूर्वी कोने तक पहुंचने हेतु नया रास्ता लेने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगणों के पास अपनी आराजी पर पहुंचने हेतु उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यही एक मात्र रास्ता प्रार्थीगणों के आने जाने के लिए मौके पर मौजूद है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगणों के द्वारा उक्त वर्णित रास्ते का उपयोग उपभोग किया जाता है, परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण ग्राम अरनिया घोड़ा के कई निवासी रास्ते को लेकर विवाद किया करते है। दिनांक 16.01.2026 को भी गांव के निवासियों द्वारा विवाद किया गया। क्योंकि उनका उद्देश्य बिलानाम आराजी संख्या 820 पर अवैध कब्जा करने का बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगणों द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। रास्ते के रूप में विपक्षी की जितनी भी भूमि आयेगी उसकी लम्बाई व 40 फीट चौड़ाई के अनुसार डी. एल.सी. दर से जो भी राशि आयेगी वह प्रार्थीगण देने के लिए तैयार है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी 867 में पहुंचने के लिए बिलानाम आराजी नम्बर 820 से 40 फीट का रास्ता दिलाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये सम्मन कारण दर्शित करते हेतु तलब किया गया। विपक्षी राज्य पक्ष की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुए।

न्यायालय द्वारा तहसीलदार शाहपुरा को जरिये पत्र यह निर्देश दिये गये कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के मुकाबले रिकार्ड एवं मौके का अध्ययन कर, निमयानुसार नवीन रास्ता कायमी के प्रस्ताव भिजवाया जावे। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार शाहपुरा द्वारा अपने पत्र क्रमांक 97 दिनांक 28.01.2026 के साथ रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक, मौका पर्चा, नजरी नक्शा, जमाबंदी आदि प्रस्तुत किये।

प्रकरण में भू0अ0निरीक्षक तहनाल से प्राप्त नवीन रास्ता कायम बाबत मौका रिपोर्ट से अवगत कराया कि प्रार्थीगण बिलानाम रास्ता आराजी नम्बर 1064 में से होकर बिलानाम आराजी नम्बर 820 से होकर अपनी आरजी 867 के उत्तरी पूर्वी कोने तक पहुंचता है। प्रार्थीगण 30 फीट की

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला–भीलवाड़ा (राज.)

चौड़ाई में नया रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। उक्त जगह पर मौके पर कोई निर्माण नहीं होकर पड़त है। उक्त रास्ता न्यूनतम दूरी का है। आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता है। तहसीलदार द्वारा ग्राम अरनिया घोड़ा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा भू0अ0निरीक्षक क्षेत्र तहनाल तहसील शाहपुरा स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 820 रकबा 0.68 है0 में से 0.0036 हैक्टेयर(9 मीटर गुणा 4 मीटर/36 वर्ग मीटर) भूमि नवीन मार्ग के लिए प्रस्तावित की गई है।

प्रार्थीगण को नियुक्त विद्वान अभिभाषक ने बहस में भू0अ0निरीक्षक से प्राप्त रास्ता प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए प्रस्ताव अनुसार रास्ता दिये जाने हेतु निवेदन किया।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन एवं परीक्षण किया गया। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई बहस पर मनन/चिन्तन एवं भू0अ0निरीक्षक तहनाल द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के विश्लेषण परिणामस्वरूप न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि:-
प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी पर पहुंच हेतु कोई स्थाई मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। एवं रिपोर्ट भू0अ0निरीक्षक से यह अवगत कराया गया है कि

1. प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना नितान्त आवश्यक है। केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है।
2. प्रार्थीगण के पास प्रस्तावित किये गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है।
3. प्रस्तावित किया गया रास्ता लघुत्तम है।

उपरोक्त विवचेन से स्पष्ट है प्रार्थीगण की खातेदारी आराजियात पर पहुंच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है एवं प्रार्थीगण को रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। तथा प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है। अतः भू0अ0निरीक्षक से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार ग्राम अरनिया घोड़ा पटवार हल्का अरनिया घोड़ा तहसील शाहपुरा में स्थित बिलानाम आराजी नम्बर 820 रकबा 0.68 है0 में से 0.0036 हैक्टेयर(9 मीटर गुणा 4 मीटर/36 वर्ग मीटर) भूमि नवीन रास्ता कायमी का यह प्रकरण न्यायालय न्यायोचित मानता है।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बहक प्रार्थीगण विरूद्ध विपक्षी इस प्रकार आंशिक स्वीकार किया जाता है कि वाके ग्राम अरनिया घोड़ा प0म0 अरनिया घोड़ा भू0अ0निरीक्षक तहनाल तहसील शाहपुरा में स्थित अप्रार्थी की बिलानाम आराजी 820 रकबा 0.68 है0 में से 0.0036 हैक्टेयर(9 मीटर गुणा 4 मीटर/36 वर्ग मीटर) ए भूमि की आवश्यकता होगी इस प्रकार नवीन रास्ते हेतु उपयोग आने वाली भूमि 0.0036 हैक्टेयर(36 वर्ग मीटर) की वर्तमान में तहसील शाहपुरा में प्रचलित डी.एल.सी. दर अनुसार मालियत की 2 गुना राशि अप्रार्थी के पक्ष में अदायगी/भुगतान किये जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार शाहपुरा के यहां जमा कराये जाने के उपरान्त मुताबिक प्रस्ताव राजस्व रेकार्ड में सार्वजनिक रास्ता दर्ज किये जाने एवं नक्शें में तरमीम के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। उक्त आराजी का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 28.01.2026 सरे ईजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

प्रतिलिपि :-
तहसीलदार शाहपुरा पास भेजकर लेख है कि संबंधित विपक्षीगण खातेदारान को रास्ता हेतु उपयोग में आने वाली भूमि की राशि की गणना कर संबंधित खातेदार काश्तकारान को भुगतान किये जाने के उपरान्त आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कर नक्शे में तरमीम किया जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को पेश करें।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा